

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 64/2023
दायर दिनांक :- 13.04.2023


जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/145
निर्णय दिनांक :- 18.06.2025

- 1 अयूब खां पुत्र अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रार्थी

बनाम

1. अमीन खां पुत्र नूरमोम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. अजीज पुत्र मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
4. अतामोहम्मद पुत्र अलाबचाया जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
5. अब्दुल रहीम पुत्र नसरदीन जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
6. अयूबखां पुत्र मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
7. इनायतों पत्नि नसरदीन जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
8. इमामत पुत्र मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
9. इलियास पुत्र नसरदीन जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
10. इलियास पुत्र मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
11. उमरदीन पुत्र नसरदीन जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
12. जीमीयत पुत्री मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
13. नूरखातु पुत्री मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी


सहायक कलेक्टर
18/6/25

14. बिस्मिला पुत्री मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
15. मुजिपर रहमान पुत्र मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
16. मजीज पुत्र मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
17. मेहबुब पुत्र मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
18. मोहम्मद यूनुस पुत्र मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
19. मोहम्मद सरीफ पुत्र नसरदीन जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
20. राजोजिन्नत पत्नि मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
21. सईदुला पुत्र मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
22. हफीजला पुत्र मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी
23. हासमदीन पुत्र मोहम्मद खां जाति सिपाही निवासी ग्राम हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण



राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

- उपस्थित :-
1. श्री सिकन्दर खां अधिवक्ता प्रार्थी
 2. श्री राजेन्द्रसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
 3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 6.2321 हैक्टेयर ग्राम हिन्दालगोल पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 17.

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

06.2022 को जारी आदेश कम संख्या 529 की पालना में दिनांक 05.07.2022 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 05.07.2022 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबन्दी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टियां रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 05.07.2022 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा वकालतनामा एवं जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 23 की और से कोई भी उपस्थित नहीं लिहाजा इनके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 6.2321 हैक्टेयर ग्राम हिन्दालगोल पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 05.07.2022 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस में जबाब प्रार्थना के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पैमाईश फर्द दिनांक 05.07.2022 के अनुसार पत्थरगढी नहीं की जाकर ग्राम हिन्दालगोल पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 5.5361 है0 एवं खसरा नम्बर 9 रकबा 6.2321 है0 की सभी खेतदारों की उपस्थिति में पुनः पैमाईश की जाकर उसी अनुसार ही पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावें।

19/06/22
सहायक कलेक्टर
(राज. पट.)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ग्राम हिन्दालगोल पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 8 रकबा 5.5361 है0 एवं खसरा नम्बर 9 रकबा 6.2321 है0 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाइश फर्द दिनांक 05.07.2022 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हिन्दालगोल पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 8 रकबा 5.5361 है0 एवं खसरा नम्बर 9 रकबा 6.2321 है0 हैक्टेयर भूमि की मुश्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाइश कर की गई पैमाइश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



18/6/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)
(सुभाष चन्द्र पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)